खास खबरें

शबरी नगर से युवक लापता

नप्र, भोपालः कमलानगर थाना क्षेत्र के शबरीनगर में संगीता पाल ने संतोष पाल, उम्र 30 वर्ष, के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान संतोष पाल को किसी व्यक्ति द्वारा अपने साथ ले जाने की जानकारी सामने आई। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

16 वर्षीय किशोरी लापता

रातीबड़ थाना क्षेत्र के सेवनियां गौड़, सूरज नगर में 16 वर्षीय के लापता होने का मामला सामने आया। उसकी मां मंजू चौहान ने शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस की जांच में योगिता को किसी व्यक्ति द्वारा अपने साथ ले जाने की जानकारी सामने आई। पुलिस ने गुमशुदगी के मामले में जांच आगे बढ़ाते हुए संबंधित धाराओं में कार्रवाई की है।

चूनाभट्टी में केबल वायर चोरी करते पकड़ाये युवक

चूनाभट्टी थाना क्षेत्र के भोज इनर सिटी में केबल वायर चोरी करने का मामला सामने आया। पुलिस के अनुसार सुनील पटेल और करण हरिशंकर को केबल वायर चोरी करते समय पकड़ा गया। आरोपियों के खिलाफ चोरी संबंधी धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और चोरी की संपत्ति तथा घटना में शामिल अन्य लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है।

गौतम नगर में बाइक चोरी

गौतम नगर थाना क्षेत्र में आरिफनगर मस्जिद के पास से मोटरसाइकिल चोरी होने का मामला सामने आया। शिकायतकर्ता नौसाद अली ने पुलिस को बताया कि उनकी हीरो मोटरसाइकिल एमपी04 एमएम9509 को अज्ञात आरोपी चोरी कर ले गया। पुलिस ने वाहन चोरी का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और अन्य माध्यमों से आरोपी की तलाश कर रही है।

छोला मंदिर क्षेत्र में दो अवैध पिस्टल बरामद

छोला मंदिर थाना क्षेत्र की नवजीवन कॉलोनी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खलील बेग, उम्र 27 वर्ष, को पकड़ा। पुलिस के अनुसार आरोपी के कब्जे से दो पिस्टल अवैध रूप से रखी हुई मिलीं। हथियार बरामद होने के बाद आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस आरोपी से हथियारों के स्रोत और उन्हें रखने के उद्देश्य को लेकर पूछताछ कर रही है।

15 वर्षीय किशोरी ने लगाई फांसी, हुई मौत

हबीबगंज थाना क्षेत्र के तुलसीनगर झुग्गी इलाके में 15 वर्षीय नाबालिग की फांसी लगाने से मौत हो गई। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार किशोरी स्वर्गीय अशोक की पुत्री थी। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया। फिलहाल उपलब्ध रिपोर्ट में घटना के कारणों का स्पष्ट उल्लेख नहीं है।

पुरानी बात को लेकर विवाद

बैरसिया थाना क्षेत्र के झिकरिया खुर्द में पुरानी बात को लेकर विवाद हो गया। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार समीम खान, असरफ और कौसर खां पर गाली-गलौज, मारपीट, धमकी देने तथा कार का कांच तोड़ने के आरोप लगाए गए हैं।

ग्लोबल स्किल्स पार्क से हर साल 10 हजार युवाओं को मिलेगा प्रशिक्षणः डॉ. यादव

राज्य ब्यूरो नईदुनिया, भोपालः मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क भोपाल आने वाले समय में प्रतिवर्ष 10 हजार युवाओं को प्रशिक्षित करने का कार्य करेगा।

वर्तमान में संस्थान द्वारा हर वर्ष हजारों युवाओं को विभिन्न कौशल पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण और प्रमाण-पत्र दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ग्लोबल स्किल्स पार्क में आयोजित अभिमुखीकरण समारोह 'आरंभ-2026' को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में युवाओं के लिए कौशल विकास के नए अवसर तैयार हो रहे हैं। आज के समय में युवाओं को शिक्षा के साथ तकनीकी दक्षता और व्यावहारिक कौशल की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कौशल के माध्यम से युवा आत्मनिर्भर बन सकते हैं और देश-प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

उन्होंने संत रविदास के जीवन का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने अपने कर्म और कौशल पर विश्वास रखने की प्रेरणा दी। कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि कार्य के प्रति समर्पण और मेहनत व्यक्ति को सफलता तक पहुंचाती है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्लोबल स्किल्स पार्क का प्लेसमेंट 98.9 प्रतिशत होना बड़ी उपलब्धि है। यहां आधुनिक तकनीक, उद्योग आधारित प्रशिक्षण और विश्वस्तरीय सुविधाओं के माध्यम से युवाओं को रोजगार के लिए तैयार किया जा रहा है।

समारोह में मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षुओं और उद्योग प्रतिनिधियों से संवाद किया। उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं को अपने कौशल को लगातार निखारने और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहने की सलाह दी।

इस अवसर पर कई उद्योगों के साथ कौशल विकास और रोजगार से जुड़े समझौते भी किए गए। बजाज ऑटो फाउंडेशन, मैजिक बिलियन और टीडब्ल्यूआई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ हुए एमओयू से युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने शिल्पकारों को भी सम्मानित किया।

बाजार में रक्षाबंधन की तैयारियों को लेकर राखियों जमकर खरीददारी हो रही है। महिलाएँ अपने भाईयों की कलाई पर बांधने के लिए मनपसंद राखियाँ खरीद रही हैं।

भोपाल हाट में दिखा गांव की कला और हुनर का रंग

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः भोपाल हाट में गुरुवार से मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्व-सहायता समूहों का सात दिवसीय राखी मेला शुरू हुआ। महापौर मालती राय ने मेले का शुभारंभ किया। 26 अगस्त तक चलने वाले मेले में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आई महिला कारीगरों ने अपने हाथों से तैयार उत्पादों के स्टॉल लगाए हैं।

मेले में करीब 80 स्टॉल सजाए गए हैं। इनमें रंग-बिरंगी राखियों के साथ मिठाइयां, वस्त्र, सजावटी सामग्री, खाद्य पदार्थ और ग्रामीण परिवेश में तैयार किए गए अन्य उत्पाद उपलब्ध हैं। मेले की सजावट में गांव की संस्कृति और सावन की हरियाली को विशेष रूप से दर्शाया गया है। इससे आगंतुकों को खरीदारी के साथ प्रदेश की लोक संस्कृति की झलक भी मिल रही है।

ग्रामीण महिलाओं को बाजार से जोड़ने की पहल

मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा स्व-सहायता समूहों के उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। राखी मेला ग्रामीण महिलाओं को ग्राहक, बाजार और नए अवसर उपलब्ध कराने के साथ उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

मुख्यमंत्री आज टीकमगढ़ में जन विश्वास अभियान में होंगे शामिल

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार को टीकमगढ़ में आयोजित मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान में शामिल होंगे। इस दौरान वे उद्योग संवाद, समाधान ऑनलाइन और सीएम मॉनिटरिंग से जुड़े प्रकरणों की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में भी भाग लेंगे। इसके साथ ही वे स्थानीय नागरिकों से संवाद कर उनकी समस्याएं और सुझाव सुनेंगे।

कालियासोत डैम क्षेत्र से हटेंगी ट्रांसमिशन लाइनें

भोपाल। राजधानी की बिजली आपूर्ति व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने के लिए मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा कालियासोत डैम के जलभराव क्षेत्र से गुजर रही 132 केवी ट्रांसमिशन लाइनों और टावरों को स्थानांतरित किया जा रहा है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि इस परियोजना से बिजली पारेषण व्यवस्था को लंबे समय तक मजबूती मिलेगी। उन्होंने बताया कि कई दशक पुरानी इन लाइनों के जलभराव क्षेत्र में होने से मानसून के दौरान रखरखाव और आपातकालीन मरम्मत कार्यों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जलभराव के कारण कई टावरों तक सड़क मार्ग से पहुंच संभव नहीं हो पाती थी और तकनीकी दलों को निरीक्षण व सुधार कार्यों के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता था। परियोजना के तहत कालियासोत डैम क्षेत्र से गुजरने वाली 132 केवी एमएसीटी-इन-लाइन-आउट, एमएसीटी-मंडीदीप और एमएसीटी-अमरावत खुर्द ट्रांसमिशन लाइनों के प्रभावित हिस्सों को नए मार्ग पर शिफ्ट किया जाएगा।

कोलार कांग्रेस ने राजीव गांधी जयंती पर अर्पित की श्रद्धांजलि

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः कोलार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, भोपाल शहर की ओर से भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कोलार के डी-मार्ट चौराहा स्थित कोलार सिक्सलेन पर आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया।

कार्यक्रम के दौरान आमजन को फल वितरण भी किया गया। कोलार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राहुल सिंह राठौड़ ने कहा कि राजीव गांधी ने देश में संचार क्रांति की नींव रखी, जिसका लाभ आज भारत को वैश्विक स्तर पर मिल रहा है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत हैं और उनके विचारों पर चलना सभी का कर्तव्य है।

इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने राजीव गांधी के व्यक्तित्व, उनके योगदान और देश के विकास में उनकी भूमिका को याद किया। वक्ताओं ने कहा कि आधुनिक भारत के निर्माण में राजीव गांधी के प्रयासों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुखलाल ठाकुर, पूर्व सरपंच मंगल सिंह यादव, गायत्री प्रसाद शर्मा, करणी सेना के राष्ट्रीय महामंत्री बलराज सिंह बैस सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसके अलावा क्षेत्रीय नागरिकों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि राजीव गांधी के विचार और देश के विकास के लिए किए गए कार्य आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देते रहेंगे।

ध्यान, दीक्षा और आत्मिक जागरूकता पर होंगे सत्र

नप्र, भोपालः प्रज्ञान मिशन कटक एवं परमहंस हरिहरानंद क्रिया योग ध्यान केंद्र, के संयुक्त तत्वावधान में तीन दिवसीय क्रिया योग ध्यान साधना शिविर का आयोजन 21 से 23 अगस्त तक किया जाएगा। शिविर में क्रिया योग, ध्यान और श्वास के विज्ञान के माध्यम से मन, शरीर और आत्मिक चेतना के बीच सामंजस्य पर विशेष सत्र होंगे। शिविर का पहला चरण 21 अगस्त को शाम 6:30 बजे दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय में आयोजित होगा। इसके बाद 22 और 23 अगस्त को ध्यान, दीक्षा संस्कार और विभिन्न सत्र होंगे। योग प्राचीन ध्यान पद्धति है, जो श्वास और मन के संबंध को समझने तथा आत्म-नियंत्रण और आत्म-जागरूकता विकसित करने में सहायक है।

नाबालिग छात्रा अपहरण मामले में दो आरोपी गिरफ्तार

मंडीदीप से बरामद हुई पीड़िता

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः गोविंदपुरा थाना क्षेत्र से करीब एक माह पहले लापता हुई 9वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा को पुलिस ने मंडीदीप से सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस के अनुसार, पड़ोस में रहने वाला युवक उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था।

मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। छात्रा के बयान के आधार पर एक अन्य युवक को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक, 21 जुलाई को छात्रा के घर से लापता होने के बाद परिजनों ने गोविंदपुरा थाने में सूचना दी थी। इसके बाद पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू की। जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्यों की मदद से छात्रा के मंडीदीप में होने की जानकारी मिली। पुलिस टीम ने बुधवार रात कार्रवाई कर छात्रा को बरामद किया और आरोपी विकास को हिरासत में लिया।

पूछताछ में छात्रा ने आरोप लगाया कि आरोपी उसे मंडीदीप ले गया था, जहां एक कमरे में बंधक बनाकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने छात्रा के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है।

जांच के दौरान छात्रा ने पड़ोस में रहने वाले एक अन्य शादीशुदा युवक दीपक साहू का नाम भी बताया। छात्रा के आरोपों के आधार पर पुलिस ने दीपक के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। पुलिस ने नाबालिग छात्रा की पहचान गोपनीय रखी है।

राजावीर मंदिर में 24 को चालीहा का समापन

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्रः भोपाल के इसरानी मार्केट स्थित राजावीर मंदिर में भगवान झूलेलाल चालीहा साहब का समापन समारोह 24 अगस्त को आयोजित किया जाएगा।

लखू अदानी ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 11:00 बजे छप्पन भोग प्रसादी, 11:30 बजे बहराना साहब की विशेष पूजा तथा दोपहर 12:00 बजे से सुनील सत्संगी द्वारा महाआरती संपन्न कराई जाएगी। आरती के बाद भंडारा होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक भगवान दास सबनानी होंगे। सिंधी सेंट्रल पंचायत के मुख्य सलाहकार भगवान देव ईसरानी, अध्यक्ष किशोर तनवानी, महासचिव प्रदीप आरतवानी प्रमुख रूप से मौजूदगी में बहिराणा साहब की ज्योत प्रज्वलित की जाएगी।

नाम परिवर्तन सूचना

मैं, श्रीमती पूजा जैन पाहवा, पति श्री तनुज पाहवा, निवासी F - 63, A.G. Classic, Kolar Road, Near C.I. Park View, Huzur, Bhopal, Madhya Pradesh 462042 सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही एवं पूर्ण नाम श्रीमती पूजा जैन पाहवा (POOJA JAIN PAHWA) है तथा मेरे आधार कार्ड एवं अन्य संबंधित दस्तावेजो में मेरा नाम श्रीमती पूजा जैन पाहवा अंकित है। मेरे पासपोर्ट में मेरा नाम वर्तमान मे पूजा पाहवा (POOJA PAHWA) अंकित है। मैं अपने पासपोर्ट के पुनः निर्गमन (Re-issue of Passport) के समय पासपोर्ट में अंकित मेरे नाम पूजा पाहवा को संशोधित करवाकर मेरा सही एवं पूर्ण नाम श्रीमती पूजा जैन पाहवा (POOJA JAIN PAHWA) दर्ज करवाना चाहती हूँ। यह कि पूजा पाहवा एवं पूजा जैन पाहवा दोनों नाम मेरे ही हैं तथा दोनों नामों से मेरा ही तात्पर्य है।

1371

नाम परिवर्तन सूचना

मैं श्री तनुज पाहवा, पिता श्री मनोज पाहवा, निवासी F-63, A.G. Classic, Kolar Road, Near C.I. Park View, Huzur, Bhopal, Madhya Pradesh- 462042, सर्वसाधारण को सूचित करता हूं कि मेरा सही एवं पूर्ण नाम तनुज पाहवा (TANUJ PAHWA) है तथा मेरे आधार कार्ड एवं अन्य संबंधित दस्तावेजों में मेरा नाम तनुज पाहवा अंकित है। जबकि मेरे पासपोर्ट में मेरा नाम वर्तमान में तनुज कुमार पाहवा (TANUJ KUMAR PAHWA) अंकित है। मैं पासपोर्ट पुनः जारी (री-इश्यू) कराने में अपना नाम संशोधित कराकर तनुज पाहवा (TANUJ PAHWA) करवाना चाहता हूं। मेरी पत्नि का सही एवं पूर्ण नाम श्रीमती पूजा जैन पाहवा (POOJA JAIN PAHWA) है। यह कि मेरे पासपोर्ट में मेरी पत्नी के नाम के स्थान पर वर्तमान में अंकित नाम को संशोधित कर मेरी पत्नी का सही एवं पूर्ण नाम श्रीमती पूजा जैन पाहवा (POOJA JAIN PAHWA) दर्ज किया जाना है। अतः वर्तमान में मेरी पत्नी को श्रीमती पूजा जैन पाहवा के नाम से जाना एवं पहचाना जाये।

1372

कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग) नर्मदापुरम

Email-Actw.hbd@mp.gov.in

क्रमांक/जनजातीय/2026/1214 नर्मदापुरम दिनांक 10.08.2026

प्रथम नीलामी निविदा विज्ञप्ति

कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग क्रमांक 01 नर्मदापुरम के अनुसार सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सेमरीखुर्द वि.ख. केसला के जीर्ण-शीर्ण भवन कक्ष क्रमांक 01,02,03,04,05 एवं व्यायाम शाला को कंडम घोषित कर तोड़ने की अनुमति प्रदान की गई है।

कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग क्रमांक 01 नर्मदापुरम के उक्त पत्र में भवन के ध्वस्तीकरण से निकलने वाली कीमती सामग्री (पुरानी ईटे, पुराना लोहा, लकड़ी, छत में लगी सीमेंट, शीट/लोहा शीट इत्यादि) की नीलामी की कार्यवाही इकाई समिति द्वारा की जावेगी।

अतः नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/संस्था को नीलामी सूचना प्रकाशन के बाद दिनांक 24.08.2026 को दोपहर 12:00 बजे कार्यालय में नीलामी बोली की कार्यवाही की जावेगी । अमानत राशि सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग नर्मदापुरम के नाम से बैंक डीडी बनवाकर बोली कार्यवाही के पूर्व जमा करना होगा। नीलामी से संबंधित शर्ते, अमानत राशि एवं फार्म व अन्य जानकारी कार्यालय से कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकेगी।

सहायक आयुक्त
जनजातीय कार्य विभाग नर्मदापुरम

जी-17365/26

परिशिष्ट B-संख्यांक 13
जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल
सातवें व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, भोपाल

(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु)
आरसीएस ए/701/2026

आर्यन कपूर बनाम सर्वसाधारण

NEXT DATE 09.10.2026

प्रेषितिः-सर्वसाधारण पता-सर्वसाधारण

यह कि प्रार्थी आर्यन कपूर ने आपके विरूद्ध आरसीएस ए/701/2026 के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात/हाजिर होने के लये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें। यह आज तारीख 11.08.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
1. यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा।

न्यायाधीश-सुश्री सनू रिछारिया
सप्तम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड भोपाल म.प्र

1373

कार्यालय सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, प्रक्षेत्र-2,अयोध्या नगर, भोपाल

आम सूचना

न्यू अशोका गार्डन हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी भोपाल में भूखण्ड/भवन क्रमांक 484 ए-सेक्टर मण्डल द्वारा श्री सैयद आबिद अली आत्मज श्री सैयद बरकत अली के नाम पर हस्तान्तरण आदेश क. 2730-36 दिनांक 10/08/1999 को हस्तान्तरित किया गया है। जिसका विक्रय विलेख दिनांक 29/06/1999 को पंजीयन कार्यालय से पंजीकृत है। श्री सैयद आबिद अली आत्मज श्री सैयद बरकत अली (पिता जी) की दिनांक 27/09/2025 को मृत्यु होने के उपरांत उनके पुत्र श्री सैयद ओवेस अली आत्मज स्व. श्री सैयद आबिद अली के द्वारा उक्त संपत्ति को अपने नाम पर नामान्तरण करने हेतु आवेदन पत्र, शपथ पत्र, मूल आवंटी के अन्य वारिसों का अनापत्ति शपथ-पत्र, परिचय पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं मण्डल प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत किए गए है। प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर उक्त सम्पत्ति श्री सैयद ओवेस अली आत्मज स्व. श्री सैयद आबिद अली के नाम से नामान्तरण हेतु प्रकरण इस कार्यालय में विचाराधीन है। यदि किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी/या किसी संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो ता 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप से सबूत के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत करें, समयावधि के पश्चात् कोई भी आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह नि. एवं अधो. वि. म. प्रक्षेत्र-2 भोपाल

1370

आम सूचना

मैं अपने पक्षकार DMI Housing Finance Pvt. Limited भोपाल द्वारा शाखा प्रबंधक की ओर से सर्व साधारण को सूचित करती हूं कि श्री कृष्णा गोपाल आत्मज श्री कमोद सिंह नागर निवासी भोपाल के आधिपत्य एवं स्वामित्व का एक किता आवासीय प्लाट नं. 137, जो कि खसरा क्रमांक 252 का अंश भाग होकर, ग्राम परवाखेडा, भोपाल में स्थित है जिसके प्लॉट का कुल क्षेत्रफल 950 वर्गफिट है जिसके दिशा पूर्व में रास्ता, दिशा पश्चिम में विक्रेता की भूमि, दिशा उत्तर में रास्ता तथा दिशा दक्षिण में अन्य की भूमि है। यह कि उक्त सम्पत्ति को गुड्डू रेयान आत्मज मोहम्मद खलिल रेयान, निवासी- भोपाल को विक्रय किया जा रहा है जिसे क्रय करने हेतु गुड्डू रेयान द्वारा उक्त सम्पतित को बंधकर रखकर मेरे पक्षकार DMI Housing Finance Pvt. Limited के समक्ष ऋण प्राप्त करने का प्रस्ताव रखा हैं। मेरी पक्षकार कंपनी उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर ऋण प्रदान करने जा रही है यदि उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति में किसी भी व्यक्ति, (परिवार के अन्य सदस्य अथवा वारिस) संस्था, बैंक, शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय निकाय का स्वत्व, आधिपत्य, हित, ऋण, बंधक (सम्यक), भार अथवा अन्य किसी भी प्रकार का विवाद हो तो, वह अपनी आपत्ति लिखित में मय दस्तावेजों के साथ इस सूचना पत्र प्रकाशन के दिवस की अवधि के अन्दर मुझे, मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में प्रस्तुत करें। उपरोक्त समयावधि निकल जाने के पश्चात किसी भी प्रकार का दावा, स्वत्व या आपत्ति मेरे पक्षकार पर बंधनकारी नहीं होगी और मेरी पक्षकार कंपनी उपरोक्त सम्पत्ति पर उपरोक्त पक्षकार को ऋण प्रदान कर सकेगी।

वर्षा काढ़े, एडवोकेट
एसएफ-06, प्रथम तल, विजय स्तम्भ एम.पी. नगर जोन-01, भोपाल
8602028236

1369

न्यायालय तहसीलदार तहसील हुजुर जिला भोपाल

(अध्याय 11, प्रारूप 4 नियम 4 देखिये, मध्यप्रदेश भू-राजस्व की उगाही नियम, 2020)

मांग की सूचना

(मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 146 के अधीन जारी)

प्रति, Lakshy realties S.F. 15 BLOCK C SECOND FLOOR MANSAROVAR COMPLEX BHOPAL द्वारा 1. श्री मनीष वर्मा संचालक एम-11 प्रथम तल मनीषा मार्केट शाहपुरा भोपाल 2. श्री मनीष मोटवानी संचालक एम-11 प्रथम तल मनीषा मार्केट शाहपुरा भोपाल आपसे एतद्वारा यह सूचना ग्रहण करने की अपेक्षा की जाती है कि संलग्न विवरण पत्र में दिए गए ब्यौरे के अनुसार भू-राजस्व के बकाया के लेखे आप पर रुपए 16,95, 622 एवं, ब्याज एवं सूचना तामील करने के खर्चे (जो रुपए 100 देय हैं) तथा यह कि, सहित इस सूचना की प्राप्ति के 07 दिन के भीतर उसका भुगतान नहीं किया गया तो देय की वसूली हेतु आपके विरुद्ध प्रपीडक कार्रवाई की जाएगी। **सूचीः** ग्राम का नाम भौरी, पटवारी हल्का भौरी,न्यायालय का आदेश क्रमांक N-BPL-18-0980 बकाया,राशि 18,74,225, शास्ति 2025 से आज दिनांक तक लगायत 9% ब्याज आज दिनांक 20/08/26 को जारी न्यायालय में पेशी दिनांक 27/08/26 दोपहर 2 बजे।

तहसीलदार
तहसील हुजूर जिला भोपाल

1368

न्यायालय तहसीलदार तहसील हुजुर जिला भोपाल

(अध्याय 11, प्रारूप 4 नियम 4 देखिये, मध्यप्रदेश भू-राजस्व की उगाही नियम, 2020)

मांग की सूचना

(मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 146 के अधीन जारी)

प्रति, शुभालय माइंस डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा श्री राजीव त्रिपाटी एवं योगेश दुबे कार्यालय 303 आर.के. टॉवर जोंन 2 एम.पी. नगर भोपाल आपसे एतद्वारा यह सूचना ग्रहण करने की अपेक्षा की जाती है कि संलग्न विवरण पत्र में दिए गए ब्यौरे के अनुसार भू-राजस्व के बकाया के लेखे आप पर रुपए 16,95, 622 एवं, ब्याज एवं सूचना तामील करने के खर्चे (जो रुपए 100 देय हैं) तथा यह कि, सहित इस सूचना की प्राप्ति के 07 दिन के भीतर उसका भुगतान नहीं किया गया तो देय की वसूली हेतु आपके विरुद्ध प्रपीडक कार्रवाई की जाएगी। **सूचीः** ग्राम का नाम भौरी, पटवारी हल्का भौरी,न्यायालय का आदेश क्रमांक M-BPL-19-0593 बकाया,राशि 16,95,622, शास्ति 2019 से आज दिनांक तक लगायत 8% ब्याज आज दिनांक 20/08/26 को जारी न्यायालय में पेशी दिनांक 27/08/26 दोपहर 2 बजे।

तहसीलदार
तहसील हुजूर जिला भोपाल

1367

कार्यालय प.ह.नं.-73 मुख्यालय सेमरी बाज्यफ्त रा.नि. मं- 07 मुगालिया छाप तहसील- हुजूर जिला- भोपाल (म.प्र.)

रा.प्र.क्र.- 0526/अ-3/2025-26
ग्राम का नाम सेमरी बाज्यफ्त
प.ह.नं-73 तहसील हुजूर जिला- भोपाल

सूचना पत्र

प्रति, 1. मनीष तिवारी पिता आर पी तिवारी निवासी भोपाल म.प्र. । 2. जीतेन्द्र खुशलानी पिता स्व उधवदास खुशलानी, अजय कुमार बजाज पिता अशोक कुमार बजाज निवासी-11 पी एन बी कॉलोनी लवकुश अर्पाटमेंट ईदगाह हिल्स भोपाल म.प्र.। 3. विद्या देवी पत्नी देवीदत्त अग्रवाल निवासी- भोपाल म.प्र.। 4. मयूर गुप्ता पत्नी विजय कुमार गुप्ता निवासी एच आई जी 03, त्रिवेणी कॉम्पलेक्स नियर रोशनपुरा भोपाल म.प्र. एवं अनिरूद्ध अग्रवाल पिता विनोद कुमार अग्रवाल निवासी-188, आराधना नगर, टी टी नगर भोपाल म.प्र.। 5. कमलकांत जोशी पुत्र सेनापति जोशी निवासी-1/114 शीरिन कॉम्पलेक्स कोहेफिजा भोपाल म.प्र.। 6. नीरा भल्ला पत्नी पी के भल्ला निवासी अरेरा कॉलोनी भोपाल एवं रेशम बाई पत्नी कमल सिंह निवासी-बढ़ाझिरी भोपाल म.प्र.। 7. मीना मीणा पत्नी लाल सिंह मीणा निवासी 23 पटेल मोहल्ला ग्राम सरवर भोपाल। 8. सुनीता कर्डक पत्नी शीलकुमार कर्डक निवासी डी सेक्टर बंजारी दानिश कुंज होंशगाबाद रोड भोपाल। 9. अनीता पत्नी जे पी मालवीय निवासी 165/2 प्रोफेसर कॉलोनी हुजूर भोपाल। 10. जया गौतम पुत्री दिनेश गौतम निवासी सीनियर एलआईजी 56 शांति विहार कॉलोनी पंडरा रीवा म.प्र.। 11. छोटेराम पुत्र बटनलाल मीणा निवासी आंमला भोपाल। 12. अमृता तिवारी पत्नी दीपक तिवारी निवासी 16/4 साउथ टी टी नगर भोपाल एवं महेशचन्द व्यास पुत्र गणेशचन्द व्यास निवासी 114 पलसीकर कॉलोनी इंदौर। 13. हरभजन कौर पत्नी रजिन्दर सिंह भिन्डर निवासी-1/46 अशोका गार्डन भोपाल। 14. परमजीत कौर पत्नी बल्वन्त सिंह भिन्डर निवासी सी 6 पंजाबीबाग भोपाल। 15. मेसर्स वर्क श्योर रियल्टी पार्टनरशिप फर्म भोपाल द्वारा भागीदार आशीष आ0 डॉ अमरनाथ अरोरा, हरीश अरोरा पिता करतारसिंह अरोरा शीवाशीष काम्पलेक्स 26 मंदाकिनी हाउसिंग सोसाइटी कोलार रोड भोपाल म.प्र. एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदक शारदा प्रसाद कुशवाहा पुत्र द्वारिका प्रसाद कुशवाहा निवासी दिनेश नगर कोटरा रोड मैनिट चौराहा भोपाल म.प्र. द्वारा ग्राम सेमरी बाज्यफ्त प.ह.नं- 73 तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा नंबर 580/9 रकबा 0.0460 हे. भूमि का बटानं किए जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदक द्वारा आवेदित उक्त भूमि का स्थल निरीक्षण कर मेरे द्वारा दिनांक 25/08/2026 को समय दोपहर 12:00 बजे स्थल पर प्रस्तावित अक्स बटांकन की कार्यवाही की जावेगी। आवेदक एवं हितबद्ध पक्षकार होने के कारण एवं उक्त भूमि के नक्शा बटांकन से कोई आपत्